न्यायालयः द्वितीय जिला न्यायाधीश, जिला–छिंदवाड़ा
(समक्षः पवन कुमार पटेल)

एम.जे.सी. (भू–अर्जन) प्र0क0:–393 / 2019
संस्थापन दिनांकः–13–03–2019
फाइलिंग नं0:–एम.जे.सी. / 386 / 2019
सी.एन.आर. नंबर–एम0पी028010018962019

1. दुलारीबाई पति स्वर्गीय मंगलू, उम्र 70 वर्ष,
2. आस्मतिबाई पिता स्व. मंगलू, उम्र 50 वर्ष,
3 चैनू उर्फ चैनसिंग पिता स्व0 मंगलू,
4. वैशाखू पिता स्व. मंगलू, उम्र 45 वर्ष,
निवासी वार्ड नंबर–5, नई आबादी, अमरवाडा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा।

..... **आवेदक**

विरूद्ध

1. मोहनवती पिता स्व. चमरा, उम्र 50 वर्ष,
2. सुमरवती पिता गेंदा, उम्र 60 वर्ष,
3. रम्मू वर्मा पिता स्व. बडगू उम्र 40 वर्ष,
4.ढेलउ पिता स्व. घूडो वर्मा, उम्र 50 वर्ष,
5. बराती पिता मंगलू, उम्र 60 वर्ष,
6. सुकवारा बाई पति स्व. सुखदास वर्मा, उम्र करीब 60 वर्ष,
7. मुकेश वर्मा पिता स्व. सुखदास वर्मा, उम्र 30 वर्ष,
8. राजेश वर्मा पिता सुखदास, उम्र 25 वर्ष,
9. राम000कुमार पिता स्व. सुखदास, उम्र 28 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम केवलारी संभा तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा।
10. अनुविभागीय / भूअर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.
11. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष, छिन्दवाड़ा।

.....**अनावेदकगण**

यह रिफरेंस आवेदन भू–अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय के भू अर्जन प्रकरण क्रमांक–07 / अ–82 / 2011–12 में दिनांक–05.11.2013 को पारित अवार्ड एवं कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के रिफरेंस ज्ञापन क्रमांक–1649 / भू–अर्जन / 2017 छिंदवाड़ा दिनांक 22.02.2019 से उदभूत प्रकरण।

.....

आवेदकगण एकपक्षीय।
अनावेकगण द्वारा श्री संगीत श्रीवास्तव ए0जी0पी0।

.....

–/ /अधिनिर्णय/ /–
(आज दिनांक 03 फरवरी 2023 को पारित)

1– भू अर्जन अधिकारी तहसील चौरई के द्वारा भू अर्जन प्रकरण क्रमांक–07 / अ–82 / 2011–12 में पारित अवार्ड दिनांक–05.11.2013 से यह भू अर्जन निर्देश उदभूत हुआ है जिसमें भू अर्जन अधिकारी चौरई द्वारा किये गये अवार्ड आदेश से व्यथित होकर आवेदक के द्वारा भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अत्र पश्चात ''**अधिनियम 2013''** से निर्दिष्ट) की धारा 64 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदक की ग्राम केवलारीसम्भा ब.नं. 32, प. ह.न. 03 तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित खसरा नंबर 418 / 1, रकबा 0.440 हेक्टेयर, खसरा नंबर 418 / 1, रकबा 0.215 हेक्टेयर, 418 / 1 रकबा 0.245 हेक्टेयर, खसरा नंबर 490 रकबा 0.100 हेक्टेयर, खसरा नंबर 584 / 1, 585 / 1, रकबा 0.075 हेक्टेयर, खसरा नंबर 584 / 1,585 / 1, रकबा 0.147 हेक्टेयर, कुल रकबा 1.120 हेक्टेयर भूमि को भू अर्जन अधिकारी द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

3– आवेदक की ओर से प्रस्तुत रिफरेंस आवेदन के अनुसार अधिग्रहित किये गये परिसम्पत्तियों का विधिवत मूल्यांकन नही किया गया, भूमि का अधिग्रहण अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नही किया गया है। निर्धारण करते समय यह नही देखा गया कि आवेदक की अधिग्रहित संपत्ति के समीप प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजना अदानी पावर स्थित है एवं ग्राम केवलारीसम्भा एक विकासशील ग्राम है जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है इसीलिए अधिग्रहित परिसम्पत्तियों की प्रस्तावित कीमत, दिलायी गयी मुआवजा राशि से काफी अधिक है, भू अर्जन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नजदीकी गांव की बिक्री छांट की गाईडलाईन का अमल न करते हुए दूरस्थ स्थित कम मूल्य वाली गाईड लाईन को विधि के प्रावधानों के विरूद्ध आंकलन कर मुआवजा दिया गया है। अतः उक्त आधार पर आवेदक ने अर्जित की गयी भूमि के प्रतिकर में वृद्धि कर राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

4– अनावेदकगण अनिर्वाहित रहे हैं।

5– प्रकरण में बनाए गए विचारणीय प्रश्न और उन पर निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	वाद–विषय	निष्कर्ष
1–	ग्राम केवलारीसम्भा ब.नं. 32, प.ह.न. 03 तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित खसरा नंबर 418 / 1, रकबा 0.440 हेक्टेयर, खसरा नंबर 418 / 1, रकबा 0. 215 हेक्टेयर, 418 / 1 रकबा 0.245 हेक्टेयर, खसरा नंबर 490 रकबा 0.100 हेक्टेयर, खसरा नंबर 584 / 1, 585 / 1, रकबा 0.075 हेक्टेयर, खसरा नंबर 584 / 1,585 / 1, रकबा 0.147 हेक्टेयर, कुल रकबा 1. 120 हेक्टेयर भूमि का कम मुआवजा तय किया है?यदि हां तो उचित मुआवजा राशि क्या होगी ?	''प्रमाणित नहीं''
2–	क्या रिफरेंस आवेदन समयावधि के भीतर प्रस्तुत हुआ	''प्रमाणित नहीं''

	है?	
3-	सहायता एवं वाद व्यय ?	अधिनिर्णय कंडिका–22 अनुसार रिफरेंस आवेदन निरस्त।

–:निष्कर्ष के आधार:–

वाद प्रश्न क0 1 पर निष्कर्ष :–

6– न्यायदृष्टांत–**भोलेराम वि0 यूनियन आफ इंडिया ए.आई.आर. 2014 एस. सी. 1957** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि प्रतिपादित किया गया है कि आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह विवादित भूमि एवं परिसम्मतियों का बाजार मूल्य निकालने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करे और ऐसी साक्ष्य के अभाव में न्यायालय का यह वैधानिक दायित्व नही है कि वह आवेदक की प्रार्थना पर इस प्रकार का बाजार मूल्य तय करें। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **बसंत कुमार वि0 यूनियन आफ इंडिया 1996पार्ट 11 एस0सी0 542** में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि आवेदक का दायित्व है कि वह उसके दावे के संबंध में उचित और विश्वास योग्य साक्ष्य पेश करे, प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी अधिकार का प्रारंभिक प्रमाण भार आवेदक पर है जिसे वह विक्रय के उपधारण और प्रतिकर की गणना करने के लिए अन्य साक्ष्य पेश कर सकता है। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत–**नेहतक रामसिंह वि0 कलेक्टर दुर्ग 1974 एम0पी0एल0जे0 813 खंडपीठ** के मामले में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि यदि दावेदार द्वारा भू अर्जन अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन चुनौती दी जाती है तो यह प्रमाणित करने का भार दावेदार पर है किया गया मूल्यांकन अनुचित अथवा अपर्याप्त है। इसी प्रकार न्याय **सुदर्शन आहूजा वि म0प्र राज्य 2014 एमपीएलजे 653 खंडपीठ** के मामले में भी धारा 18 एवं धारा 23 भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा विधि प्रतिपादित की है कि प्रतिकर अपर्याप्तता को साबित करने का भार स्वयं आवेदक पर होता है जिसके संबधं में आवेदक को अधिग्रहित की गई बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध में पर्याप्त और संतोषप्रद साक्ष्य पेश करनी चाहिए।

7– इस प्रकार यह साबित करने का प्रारंभिक भार आवेदक पर था कि भू अर्जन अधिकारी के द्वारा दिया गया मुआवजा उचित एवं पर्याप्त नही है तथा मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण है परंतु आवेदक ने इस प्रकरण में सुनवायी दौरान कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

8– प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि अनावेदक क्रं02 भू–अर्जन अधि0 द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत् है अथवा नहीं। इस संबंध में उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार किया गया।

9– आवेदक ने प्रतिकर निर्धारण पत्रक एवं आलोच्य अवार्ड दिनांक 05.11.2013 की प्रतियॉ प्रस्तुत की है, जिनके संबंध में अनावेदक पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अवार्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिग्रहित भूमि आवेदकगण की थी, जिन्हें भू–अर्जन अधि0 1894 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जिसके अनुसार परिसम्पत्तियॉ अधिग्रहण की अधिसूचना धारा–4 भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत राजपत्र में प्रकाशित की गयी

थी। इस अधिसूचना के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 6,8,9,10 व 11 के तहत कार्यवाहियॉ की गयी हैं। इस प्राधिकरण को अधिसूचनाओं की वैधता पर विचार करने की अधिकारिता या आवश्यकता नहीं है।

10– प्रतिकर निर्धारण पत्रक के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि भू–अर्जन अधिकारी अनावेदक क्रं01 द्वारा अधिग्रहित भूमियों पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में भी प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अवार्ड के अनुसार उक्त क्षेत्र में जहॉ भूमियॉ अधिग्रहित की गयी हैं, अधिग्रहण के पूर्व एक वर्ष की अवधि में कोई भी क्रय–विक्रय संव्यवहार होना, नही पाया गया है। इसी आधार पर पंजीयन गाईड लाईन के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है, अधिग्रहित भूमियों का मूल्यांकन कलेक्टर पंजीयन गाईड लाईन के अनुसार किया जाना दर्शाया गया है।

11– आवेदक ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रकट हो कि अनावेदक क्रं02 द्वारा किये गये बाजार मूल्य के निर्धारण से अधिक बाजार मूल्य अधिग्रहित भूमि का था। ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रकट हो कि परिसम्पत्ति भूमि का जो मूल्यांकन अनावेदक क्रं01 ने किया है, वह वास्तविक मूल्य से कम है।

12– आवेदक पक्ष का अन्य मुख्य आधार यह रहा है कि मुआवजा राशि का अवधारण वर्तमान अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था अतः यह देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि पारित अवार्ड दिनांक–05.11.2013 के संबंध में कौन से प्रावधान लागू किये जायेंगे।

13– तर्क के दौरान अनावेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि अधिनियम 2013 दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है और विवादित अवार्ड के संबंध में कार्यवाही उसके लागू होने से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी इसीलिए आवेदक वर्तमान अधिनियम 2013 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

144– उक्त संबंध में वर्तमान अधिनियम 2013 की धारा 24 का वर्णन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है –1 इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि अर्जन अधि 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में–(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नही किया गया है, वहां इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे, या (ख) जहां उक्त अधि0 की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियों उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नही किया गया है। 2– उक्त धारा 1 में कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए भी, भूमि अर्जन अधि0 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधि0 के प्रारंभ के 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया या प्रतिकर का संदाय नही किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे व्यपगत हो गयी है और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधि0 के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नये सिरे से आरंभ करेगी

परंतु जहां अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू धृतियों की बावत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नही किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट

सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधि0 की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

15– प्रस्तुत प्रकरण में विवादित अवार्ड दिनांक 05.11.2013 को पारित हुआ है तथा आवेदक द्वारा उपरोक्त परंतु के अधीन ही अनुतोष चाहा गया है, उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त पंरतुक का लाभ उन्ही हिताधिकारियों को प्राप्त होगा जो अधिनियम 2013 के लागू होने 5 वर्ष पूर्व तक के पारित किसी अधिनिर्णय से प्रभावित होते हैं। उक्त संबंध में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा **इंदौर डेवलेपमेंट अथारिटी विरूद्ध मनोहर लाल व अन्य एस0एल0पी (सी) एन.ओ.एस. 9036– 9038 / 2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2020** में यह भी प्रतिपादित की गई कि जहां अधिनिर्णय नवीन अधिनियम प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 01.01.2014 के पूर्व के पांच वर्ष के अंदर किया गया है तब सभी कार्यवाहियां नवीन अधि0 की धारा 24–1–बी के अंतर्गत ही चलेगी अर्थात जहां धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय पारित किया गया है वहां सभी कार्यवाही उसी अधिनियम अर्थात भू अर्जन अधिनियम–1894 के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानो उक्त अधि0 निरसित ही नही किया गया हो तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 24–2 के परंतुक की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि परंतुक को केवल धारा 24–2 के भाग के रूप में माना जाना चाहिए और उसे धारा 24–1–बी के साथ नहीं पढा जा सकता।

16– न्यायालय के मत में उक्त प्रतिपादित विधि को देखते हुए जबकि परंतुक का लाभ एवं धारा 24–2 के प्रावधानों के तहत ही प्राप्त है ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 24–1–ख के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि विवादित अवार्ड भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 11 के तहत पारित किया गया है और उक्त स्थिति में प्रतिकर का अवधारण भू अर्जन अधि0 1894 के प्रावधानों के अधीन ही किया जायेगा और भू अर्जन अधि0 1894 के प्रावधानों के तहत ही धारा 23–2 के तहत केवल 30 प्रतिशत की दर से ही अतिरिक्त राशि आवेदक प्राप्त कर सकता था।

17– अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि आवेदक की अर्जित परिसम्पत्तियों का कम मुआवजा तय किया गया है एवं यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि आलोच्य अवार्ड पारित किए जाते समय अधिनियम 1894 के तहत बने नियमों का पालन नहीं किया गया है और यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि आवेदक अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुआवजा राशि पुनः निर्धारित कर प्राप्त करने का अधिकारी है। तदानुसार वाद–प्रश्न क्रमांक–1 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में अंकित किया जाता है।

वाद–प्रश्न क्रमांक–2 :–

18– आवेदक ने अवार्ड दिनांक 05.11.2013 के विरूद्ध कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के समक्ष रिफरेंस दिनांक 14 मई 2018 को प्रस्तुत किया है।

19– अधिनियम 2013 की धारा 64–2 में यह प्रावधान है कि कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय पारित करते समय यदि आवेदक उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, तब रिफरेंस आवेदन कलेक्टर के अवार्ड की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर तथा अन्य दशाओं में कलेक्टर से सूचना प्राप्ति के 6 सप्ताह और कलेक्टर के अवार्ड की तारीख से 6 माह में से जिस कलावधि का पहले अवसान हो उसके भीतर किया जावेगा । धारा 12–2 के

अनुसार कलेक्टर द्वारा अवार्ड पारित करने के पश्चात हितबद्ध पक्षकार को तत्काल सूचना दी जायेगी जो अवार्ड के समय व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित नही हुए थे, उक्त स्थिति में सूचना प्राप्ति से 6 सप्ताह के भीतर परिसीमा की गणना की जायेगी। जहां ऐसी सूचना विधिवत नही दी गई है, वहां पर हितबद्ध व्यक्ति को अवार्ड दिनांक से 6 माह के भीतर रिफरेंस प्रस्तुत करना होगा ।

20– **न्याय दृष्टांत– भगवानदास विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2010 एस0सी0 1532** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित की है कि जब हितबद्ध व्यक्ति द्वारा रिफरेंस आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और छः माह की अवधि की परिसीमा का निवेदन किया जाता है तब उक्त स्थिति उस पर यह साबित करने का यह प्रारंभिक भार होता है कि पहला– वह या उसका प्रतिनिधि अवार्ड दिनांक को उपस्थित नहीं थे। दूसरा– उसके द्वारा अधि0 की धारा 12–2 के तहत कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया और उसे अवार्ड पारित किये जाने के संबंध में अवार्ड दिनांक के पश्चात छः माह तक अवार्ड की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। आगे यह विधि प्रतिपादित की है कि उक्त भार को उक्त तथ्यों को साबित करके भार से उन्मोचित हुआ जा सकता है। आगे यह विधि भी प्रतिपादित की है कि एक बार जहां उक्त भार को उन्मोचित कर दिया जाता है तब भू अर्जन अधिकारी को यह साबित करना होता है कि अवार्ड पारित किये जाते समय हितबद्ध व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उपस्थित था अथवा उसके द्वारा अधिनियम की धारा 12–2 का नोटिस उक्त व्यक्ति पर तामील करा दिया था।

21– प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भू अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, द्वारा दिनांक 05.11.2013 को अवार्ड पारित किया गया है, रिफरेंस आवेदन पत्र दिनांक 14 मई 2018 को अर्थात लगभग चार साल छह माह बाद प्रस्तुत किया गया है। आवेदक की ओर से अपने रिफरेंस आवेदन, शपथ पत्र अथवा परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र किसी में भी इस तथ्य को प्रकट नहीं किया है कि उसे अवार्ड की जानकारी वास्तव मे किस दिनांक को प्राप्त हुई है जबकि उक्त तथ्य को साबित करने का प्रारंभिक भार स्वयं आवेदक पर था। परिणामतः न्याय दृष्टांत–**भगवानदास** (**पूर्व वर्णित**) में प्रतिपादित विधि को देखते हुए एवं यदि आवेदक को अवार्ड दिनांक 05.11.2013 के पश्चात संपूर्ण छः माह की अवधि की परिसीमा प्रदान कर दी जावे तब भी रिफरेंस लगभग चार साल विलंब से है एवं प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलंब का कोई कारण न तो लिखित किया गया है न ही प्रमाणित किया गया है उक्त स्थिति में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत रिफरेंस विलंब से पेश किया गया है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र परिसीमा अवधि से बाधित है परिणामतः विचारणीय प्रश्न क्र. 2 का निष्कर्ष ''नहीं'' के रूप में अंकित किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक–3 सहायता एवं वाद व्यय

22– उक्त संपूर्ण विवेचना के पश्चात इस अधिकरण का यह निष्कर्ष है कि आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि भू अर्जन अधिकारी तहसील चौरई द्वारा अर्जित की गई विवादित परिसम्पत्तियों के संबंध में कम प्रतिकर का निर्धारण किया है, आवेदन पत्र विहित परिसीमा अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत नही किया गया है अतः उक्त स्थिति आवेदक इस अधिकरण से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः आवेदक की ओर से अधिनियम 2013 की धारा 64 के अंतर्गत प्रस्तुत रिफरेंस आवेदन

निरस्त किया जाता है।

23– उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

24– अधिवक्ता शुल्क प्रत्येक पक्ष को 500–500/–रूपये निर्धारित किया जाता है।

25– अधिनिर्णय की एक सत्यप्रति कलेक्टर छिंदवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित की जावे। व्यय–पत्रक बनाया जावे।

छिंदवाडा दिनांक 03 फरवरी 2023

मेरे निर्देशन पर टंकित एवं खुले न्यायालय में पारित एवं हस्ताक्षरित।

Pawan Kumar Patel

Digitally signed by Pawan Kumar Patel
Date: 2023.02.03 17:46:15 +0530

सही
(पवन कुमार पटेल)
द्वितीय जिला न्यायाधीश,
छिंदवाड़ा